

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क0-775/2015

संस्थित दिनांक-20.08.2015

फा.नंबर 234503008922015

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी
केन्द्र-रूपझर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

!!विरुद्ध!!

संतोष तरवरे पिता रमेश तरवरे, उम्र-28 वर्ष,
निवासी मोहगांव खुर्द थाना हट्टा जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....आरोपी

!! निर्णय !!

(दिनांक 15/05/2018 को घोषित किया गया)

01:- उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 23.05.2015 को समय सुबह 4:30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत स्थान एस.एच.26 उद्घाटी मोड़ मेन रोड पर वाहन सी.जी.10एन.बी.6214 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करने, इस प्रकार धारा 279 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02:- प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 28.03.2018 को आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को धारा-337, 338 भा0दं0वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया। धारा 279 भा0दं0वि0 राजीनामा योग्य न होने से उक्त धारा में विचारण किया गया।

03:- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 23.05.2015 को प्रातः 4:30 बजे आहत मोनिका इंगले एवं सोनल सांवरे आरोपी के वाहन सी.जी.10एन.बी.6214 से वारासिवनी से बैहर जा रहे थे। घटनास्थल उद्घाटी मोड़ के पास आरोपी संतोष ने कार तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया, जिससे मोनिका का पैर टूट गया और सोनल के पीठ एवं सिर, गर्दन में चोटें आई थी। आहतगण को मिताली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से कोतवाली बालाघाट में घटना की तहरीर भेजी गई थी। घटना थाना रूपझर क्षेत्रांतर्गत होने से थाना रूपझर में अपराध क्रमांक 114/15 धारा-279, 337, 338 भा.द.वि. का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में

लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:— आरोपी ने अपने अभिवाक् में आरोपित अपराध से अस्वीकार किया है तथा आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में कोई विपरीत साक्ष्य न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

05:—प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 23.05.2015 को समय सुबह 4:30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत स्थान एस.एच.26 उद्घाटी मोड़ मेन रोड पर वाहन सी.जी.10एन.बी.6214 को उपेक्षा व उतावलेपनपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

!! निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण !!

विचारणीय प्रश्न क्रमांक:-01

06:— आहत सोनल इंगले अ.सा.-01 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व मई माह की सुबह के समय बंजारी के पास की है। घटना के समय वह अपनी बहनों के साथ वारासिवनी से कान्हा आ रही थी, तभी बंजारी के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसे तथा उसकी छोटी बहन मोनिका को चोट आई थी। उसके सिर और पीठ में चोट आई थी। घटना कैसे हुई वह नहीं बता सकती। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान लिया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी कार को तेज व लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर पलटा दिया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.01 का कथन देने से भी इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। आरोपी वाहन को सामान्य गति से चला रहा था। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाये जाने की घटना का समर्थन नहीं किया है।

07:— आहत मोनिका इंगले अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व मई माह की सुबह के समय बंजारी के पास की है। घटना के समय वह अपनी बहनों के साथ वारासिवनी से कान्हा आ रही थी, तभी बंजारी के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसे तथा उसकी बड़ी बहन सोनल को चोट आई थी। उसे घटना में पैर में चोट आई थी। घटना कैसे हुई वह नहीं बता सकती। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान लिया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी कार को तेज व लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर पलटा दिया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.02 का कथन देने से भी इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। आरोपी वाहन को सामान्य गति से चला रहा था। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाये जाने की घटना का समर्थन नहीं किया है।

08:— इस प्रकार आहत सोनल अ.सा.—01 ने आरोपी द्वारा तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किये जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। आहत साक्षी मोनिका इंगले अ.सा.—02 ने आरोपी द्वारा तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किये जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण के दोनों आहत साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है, जिससे आरोपी द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है। आहतगण द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिये जाने एवं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन ने अपने शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट (देहली एडमिनीस्ट्रेशन) ए.आई.आर. 1979 सु.को. 1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट आफ एम.पी. 2010 (2) म.प्र. वी.नो. 79 म.प्र. अवलोकनीय है। फलतः अभियोजन का मामला स्वयं आहतगण द्वारा मामले का समर्थन नहीं किये जाने से प्रमाणित नहीं पाया जाता।

09:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 23.05.2015 को समय सुबह 4:30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र रूपझर के अंतर्गत स्थान एस.एच.26 उद्घाटी मोड़ में रोड पर वाहन सी.जी.10एन.बी.6214 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया। फलतः आरोपी को धारा 279 भा.दं. वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10:— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

12:— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कार क्रमांक—सी.जी.10एन.बी.6214 आवेदिका मीनाक्षी इंगले पति योगेश कुमार बंजारी, उम्र—35 वर्ष, निवासी सिविल लाईन वारासिवनी जिला बालाघाट की सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)